क्रम-संख्या—109

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

**विधायी परिशिष्ट**

**भाग—2, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

**लखनऊ, सोमवार, 3 जून, 2019**

ज्येष्ठ 13; 1941 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश शासन**

विधायी अनुभाग—1

संख्या 971 / 79-वि-1—19-2(क)-3-2019

लखनऊ, 3 जून, 2019

अधिसूचना

**विविध**

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2019) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2019)

[भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की अनुसूची का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की अनुसूची में,

(क) क्रम संख्या 3 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्;

| | |
|---|---|
| "3-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर। | औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव जिले।" |

(ख) क्रम संख्या 6 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्;

| | |
|---|---|
| "6-डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या। | अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले।" |

राम नाईक,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

---

आज्ञा से,
संजय खरे,
प्रमुख सचिव।

---

No. 971 (2)/LXXIX-V-1–19-2(ka)-3-2019
*Dated Lucknow, June* 3, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2019 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 3 of 2019) promulgated by the Governor. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

## THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2019

(U.P. ORDINANCE NO. 3 OF 2019)

*[Promulgated by the Governor in the Seventieth Year of the Republic of India]*

AN

ORDINANCE

*further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.*

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :–

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2019.

2. In the Schedule to the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973,– Amendment of the Schedule to the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974.

(a) *for* the entries appearing at Serial no. 3, the following entries shall be *substituted,* namely :–

| | |
|---|---|
| "3- Chhatrapati Shahu ji Maharaj University, Kanpur. | Districts of Auraiya, Etawah, Farrukhabad, Hardoi, Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Lakhimpur Kheri, Sitapur, Rae Bareli and Unnao." |

(b) *for* the entries appearing at Serial no. 6, the following entries shall be *substituted,* namely :–

| | |
|---|---|
| "6. Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya. | Districts of Ambedkar Nagar, Amethi, Ayodhya, Bahraich, Barabanki, Gonda and Sultanpur." |

RAM NAIK,
*Governor,*
*Uttar Pradesh.*

---

By order,
SANJAI KHARE,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 57 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(199)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 विधायी–2019–(200)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।